

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 704/2022 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)

एचडीबी फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड, ई-145, द्वितीय एवं तृतीय तल, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग
के सामने, सी-स्कीम, जयपुर।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स ललित चश्मे वाला जरिये प्रोपराइटर श्री ललित कुमार वर्मा,
पता:- आनंद मार्केट, जयपुर तिराहा, शाहपुरा मनोहरपुरा, जयपुर।
एवं प्लॉट स्थित चार्ड नं. 11, शंकर कॉलोनी, ग्राम शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, मनोहरपुरा, जयपुर।
एवं श्रेया हॉस्पिटल के पास, 105, बरा स्टेशन, शाहपुरा, जयपुर।
2. श्री हनुमान सहाय बुनकर पुत्र श्री चौधमल बुनकर,
पता :- 132, बिचपुड़ी, देवीपुरा, तहसील शाहपुरा मनोहरपुरा, जिला जयपुर।
3. श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी श्री ललित कुमार वर्मा,
4. श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय वर्मा,
पता :- 132, बिचपुड़ी, देवीपुरा, तहसील शाहपुरा मनोहरपुरा, जिला जयपुर।
एवं देवीपुरा, तहसील शाहपुरा, जयपुर।

अप्राथीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री अविनाश कुम्मज, अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्राथी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राथी श्री ललित कुमार बुनकर के स्वामित्व की चार्ड नं. 11, शंकर कॉलोनी, ग्राम शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर स्थित आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल 148 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 27.02.2019 को राशि 40,00,000/- रुपये एवं दिनांक 19.01.2021 को राशि 07,58,668/- रुपये, कुल राशि 47,58,668/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 08.04.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

३५
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त 2016 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 47,58,668/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 46,33,148/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.04.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री ललित कुमार बुनकर के स्वामित्व की वार्ड नं. 11, शंकर कॉलोनी, ग्राम शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर स्थित आवासीय बंधक संपत्ति, क्षेत्रफल 148 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।
आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर